न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम.नं. 2024/199
मुकदमा नम्बर 58/2024 — दायर दिनांक–02.05.2024

शिशपाल पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी चारण की ढाणी तन परसरामपुरा ,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू

– प्रार्थीगण

बनाम

1. अनिल पुत्र जयराम
2. ढालचन्द पुत्र नथूसिंह
3. नवरत्न पुत्र मदन सिंह
4. रामा पुत्री नथूसिंह
5. पृथ्वीराज पुत्र नथूसिंह
6. प्रमीला पुत्री जयराम
7. पारा पुत्री नथू सिंह
8. ममता पुत्री मदन सिंह
9. मीनकाश पुत्री नथू सिंह
10. सरस्वती पुत्री नथू सिंह
11. सुनिला पुत्र जयराम
12. सरिता देवी पत्नी मदन सिंह
13. हरफुल सिंह पुत्र नथू सिंह
14. महेश पुत्र संतोष व शिशपाल
15. सुरेन्द्र पुत्र संतोष व शिशपाल
16. मंगलचन्द पुत्र संतोष व शिशपाल
17. सहीराम पुत्र संतोष व शिशपाल
18. मंजू पुत्री सतोंष व शिशपाल
19. उर्मीला पुत्री संतोष व शिशपाल समस्त जाति जाट निवासीगण चारण की ढाणी तन परसरामपुरा ,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू
20. लक्ष्मण सिंह पुत्र हरजी
21. विजेन्द्र सिंह पुत्र डूंगर सिंह
22. विजय सिंह पुत्र डूंगर सिंह
23. सरदार सिंह पुत्र हरजी समस्त जाट निवासीगण ग्राम चारण की ढाणी तन परसरामपुरा ,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू
24. परमेश्वर पुत्र द्वारका प्रसाद

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

25. पिन्टू पुत्र द्वारका प्रसाद
26. मोहिनी पत्नी द्वारका प्रसाद
27. सुमित्रा पुत्री द्वारका प्रसाद
28. बनवारीलाल पुत्र श्योराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम चारण की ढाणी तन परसरामपुरा ,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुंनू
29. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नवलगढ, तहसील नवलगढ
30. प्रबन्धक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नवलगढ तहसील नवलगढ
31. प्रबन्धक बडोदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा परसरामपुरा तहसील नवलगढ
32. प्रबन्धक राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा परसरामपुरा तहसील नवलगढ
33. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ जिला झुझुंनू

—अप्रार्थीगण

वकील आवेदक : — श्री संदीप कुमार सैनी
अनावेदक सं. 1 लगा. 8 —श्री सज्जन चाहर
अनावेदक सं. 9 लगा.19,29 लगा. 32 — एक पक्षीय
अनावेदक सं. 20 लगा. 28 — श्री विकास सैनी
अनावेदक सं. 33 — पैरो. राज.

प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955

:: आदेश ::

दिनांक —14-2-2025

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम चारां का बास पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खाता सं. नया 110 की भूमि खसरा नं. 3606 रकबा 0.82 है0 में पहुॅच के लिये प्रा. पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में ए से बी बिन्दूओं पीले रंग से प्रदर्शित 4 मीटर चौडा रास्ता प्रार्थी को अनावेदक सं. 20 लगायत 23 की खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम चारण की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी की सरहद में नई खाता सं. 155 की भूमि खसरा नं. 337 रकबा 1.62 है0, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 19 की खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम चारण की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी की सरहद में स्थित नही खाता सं. 66 के भूमि खसरा नं. 334 रकबा 3.40 है0 में से अप्रार्थी सं. 1 लगायत 23 से प्रार्थी को दिलवाया जावें।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदक सं. 9 लगा. 19, 29 लगा. 32 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक सं. 1 लगा. 8 जरिये वकील श्री सज्जन चाहर उपस्थित परन्तु जवाब प्रा. पत्र पेश नही करने पर बन्द किया गया। अनावेदक सं. 20 लगा. 28 जरिये वकील

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

श्री विकास सैनी उपस्थित जवाब इकबालिया पेश किया गया। अनावेदक सं. 33 की और से पैरो. राज. उपस्थित।

प्रकरण मे तहसीलदार नवलगढ से रिपोर्ट क्रमांक 400 दिनांक 30.05.2024 पेश हुई जिस पर आपत्ति होने पर पुनः मौका निरीक्षण किया जाकर रिपोर्ट दिनांक 09.12.2024 प्राप्त की गई। जिसके अनुसार दिनांक 29.05.2024 को मौका निरीक्षण कर जो रिपोर्ट भिजवाई गयी थी वह सही बनाई गई है। इसलिये इस नजरी नक्शे में बिन्दू सं. डी से बिन्दू बी ही रास्ते के लिये उपयुक्त है। बिन्दू सं. ए से बिन्दू सं. बी के मध्य ख.नं. 3606 की पूर्वी सीमा ख.नं. 334 के भूभाग पर पक्के मकान बने हुये है।

तहसीलदार नवलगढ से रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस वकील उभय पक्ष बगौर सुनी गई।

वकील आवेदक ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों तथा तहसीलदार नवलगढ की दोनो रिपोर्ट का हवाला देते हुये प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अनावेदकगण द्वारा कोई ठोस अन्य उजर पेश नही किया गया।

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक 400 दिनांक 03.05.2024 तथा तदपश्चात् प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 09.12.2024 के अनुसार आवेदक के पास अपनी कृषि जोत तक आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा आवेदक को रास्ते की परमआवश्यक्ता है। ग्राम चारां का बास के खसरा नं. 3606 रकबा 0.8200 है0 में पहुॅचने के लिये ग्राम चारण की ढाणी के भूमि खसरा नं. 337 की दक्षिणी दिशा शेष उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे तथा चारण की ढाणी के ख.नं. 334 के मध्य से जो नजरी नक्शा में ए से बी लाल स्याही से नजरी नक्शे मे दर्शाया गया है, रास्ता लघुतम व निकटतम है। इस प्रकार से ग्राम चारण की ढाणी भूमि खसरा नं. 337 मे रास्ता की लम्बाई 84 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल रकबा 336 वर्ग मीटर, ग्राम चारण की ढाणी खसरा नं. 334 मे रास्ता की लम्बाई 92 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल रकबा 368 वर्ग मीटर तथा ग्राम चारां का बास खसरा नं. 336 में रास्ता की लम्बाई 14 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल रकबा 56 वर्ग मीटर बनता है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक 400 दिनांक 03.05.2024 तथा तदपश्चात् प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 09.12.2024 के अनुसार पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम चारां का बास पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में स्थित भूमि खाता सं. नया 110 की भूमि खसरा नं. 3606 रकबा 0.82 है0 में पहुॅच के लिये ग्राम चारण की ढाणी भूमि खसरा नं. 337 मे रास्ता की लम्बाई 84 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल रकबा 336 वर्ग मीटर, ग्राम चारण की ढाणी खसरा नं. 334 मे रास्ता की लम्बाई 92 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल रकबा 368 वर्ग मीटर तथा ग्राम चारां का बास खसरा नं. 336 में रास्ता की लम्बाई 14 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल रकबा 56 वर्ग मीटर रास्ता मुताबिक नजरी नक्शा रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ गै.मु. सिवायचक रास्ता कायम कर

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

आदेश पत्रक
(नियम 13)

[General R...

दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते है। रास्ते से प्रभावित ग्राम चारण की ढाणी भूमि खसरा नं. 337, ग्राम चारण की ढाणी खसरा नं. 334, ग्राम चारां का बास खसरा नं. 336 के खातेदार काश्तकारों को डीएलसी दर की दोगुनी राशि आवेदकगण से दिलाई जावे। अनावेदकगण द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर राजकोष में अमानत मद में जमा करवाई जावें। तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट क्रमांक 400 दिनांक 03.05.2024 तथा तदपश्चात् प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 09.12.2024 मय नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगी।

इस प्रकरण में पारित यह आदेश, इसी न्यायालय के अन्य प्रकरण सं. 115/2023 उनवानी ढालचन्द बनाम परमेश्वरलाल वगै अ.धा. 251 (क) आर.टी.ए. के साथ रखकर व सुनवाई कर पारित किया गया है। इसलिये प्रकरण सं. 115/2023 में पारित आदेश के साथ पढा जावे।

तहसीलदार नवलगढ, मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमलदरामद व मौके पर रास्ता कायम कर पालना करवाना सुनिश्चित करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 14-12-2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़